कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 08/2015–16

3rd Call अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 तक नगर पंचायत, लातेहार अन्तर्गत चापानल सामाग्रीयों के क्रय के लिये प्राप्त कुल आवंटन 11,62,344/– (ग्यारह लाख बासठ हजार तीन सौ चौवालीस) रूपये की राशि से चापानल सामाग्रीयों के कय हेतु निर्माता अथवा अधिकृत बिक्रेताओं से **दिनांक 11.02.2016 के 2.00 बजे अपराहन्** तक ही इच्छुक निविदादाताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जाते है, जो नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। साथ ही चापानल सामाग्रीयों के निविदा दिनांक 11.02.16 को अपराहन् 3.00 बजे निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष नगर पंचायत, लातेहार के कय समिति द्वारा खोला जायेगा। कय किये जाने वाले चापानल सामाग्रीयों की सूची नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय से कार्य दिवस में दिनांक 10.02.16 तक प्राप्त किया जा सकता है। तथा निविदा हेतु निर्धारित नियम एवं शर्त्त कार्यालय अवधि में कार्यालय सुचना पट्ट/कार्यालय से सम्पर्क कर देखा जा सकता है, या लातेहार जिला के वेवसाईड www.latehar.nic.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है ।

<u>नियम एवं शर्त</u>

1. निविदादाता को अध्यतन आयकर एवं बिक्री कर स्वच्छता प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणीत छाया प्रति संलग्न करना होगा, तथा पैन सं0 एवं भैट सं0 की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को सामानों की आपूति प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान एवं सभी कर सहित **दर को स्पष्ट रूप से अंकित कर एवं आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों का वजन सहित** निविदा देनी होगी एवं सशर्त निविदा मान्य नही होगा। आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की संख्या घटाई या बढाई जा सकती है।
3. निविदादाता को निविदा के साथ 5000.00 रूपये का बैंक ड्राफट/बैंकर चेक जो **कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, लातेहार** के नाम से देय हो निविदा शुल्क के रूप में जमा करना अनिर्वाय होगा। जिसे वापस नही किया जायेगा।
4. निविदादाता को सुरक्षित जमा राशि **(Security Money)** के रूप में 59,000/– (उन्सठ हजार) रूपये की राशि का एन0एस0सी0 (आठवां निर्गम), 3 वर्ष अवधि वार्षिक सावधि जमा पासबुक जो **कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, लातेहार** के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज्ड) होगा, अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।जिनके निविदा की स्वीकृति दी जायेगी उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा राशि **(Security Money)** को आपूर्त्ति किये गये सामग्री के एक वर्ष बीत जाने के उपरांत ही निविदादाता को वापस किया जायगा।
5. निविदा का निष्पादन नगर पंचायत, लातेहार के कय समिति द्वारा किया जायेगा।
6. निविदादाता को सामाग्रियों की आपूर्ति कार्यादेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में करना होगा। इसके लिये अलग से कोई राशि का भुगतान नही किया जायेगा। स–समय सामाग्रीयों की आपूर्ति नही किये जाने पर निविदादाता द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा राशि **(Security Money)** की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दुसरे निविदाकार को सामाग्रीयों की आपूर्ति करने का आदेश निर्गत कर दी जायेगी। जिसके लिये बाद में किया गया कोई भी दावा मान्य नही होगा।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने अथवा एक से अधिक निविदादाताओं के बीच बाटने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा तथा उन्हे कही चुनौती नही दी जा सकेगी।
8. किसी भी तरह के विवाद का निष्पादन लातेहार न्यायालय में ही मान्य होगा तथा विलम्ब से भुगतान के लिये अगल से कोई दावा मान्य नही होगा।
9. निविदादाता को आपूर्ति किये गये चापानल सामग्रीयों के गुणवता का प्रमाण पत्र कनीय अभियंता, नगर पंचायत, लातेहार एवं सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार से उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आपूर्ति किये गये सामग्रीयों की राशि का भुगतान किया जायेगा।
10. कार्यालय अवधि में कार्यालय सुचना पट्ट/कार्यालय से सम्पर्क कर इस कार्य हेतु लागु किये गये नियम एवं शर्तो को देखा जा सकता है, या लातेहार जिला के वेवसाईड www.latehar.nic.in पर देखा या डाउन लोड किया जा सकता है ।

25/01/16

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार

ज्ञापांक 108/दिनांक 25-01-16

प्रतिलिपि :– संवाददाता दैनीक समाचार पत्र हिन्दुस्तान/राष्ट्रीय नवीन मेल एवं दैनिक जागरण को उपरोक्त निविदा का प्रकाशन 2000.00 रू0 के अन्तर्गत करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डी0 आई0 ओ0, एन0 आई0 सी0 लातेहार को सुचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के वेवसाईड पर प्रकाषित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, लातेहार को सादर सुचनार्थ समर्पित ।

25/01/16

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार